28 अफसर पहुंचे कोर्ट, हर वर्ष 70 करोड़ रुपये की वसूली का है आरोप

खुलेंगे राज ● कल पेश होगा 2,100 पन्नों का चालान, शनिवार को नहीं थे जज

शराब
घोटाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रदेश में 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में शनिवार को 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) 2,100 पन्नों का चालान पेश करने पहुंची। हालांकि जज नहीं होने की वजह से इसे सोमवार को पेश किया जाएगा। 28 अधिकारी शनिवार को नोटिस के बाद कोर्ट पहुंचे थे। आरोप है कि चार साल में करोड़ों रुपये कमीशन के रूप में इन्हें मिले हैं। विधि विभाग से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने 2,100 पन्नों का विस्तृत पूरक चालान तैयार किया है, जिसे अब सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच में राजफाश हुआ है कि अफसरों ने सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाले में पूरा साथ दिया।

शराब घोटाला करने के एवज में अफसर हर साल 70 करोड़ की वसूली करते थे। 2019 से 2023 तक शराब सप्लायरों से जिला आबकारी अधिकारियों ने 319 करोड़ रुपये की वसूली की है। यह पैसा सिंडिकेट को पहुंचाया गया। अप्रैल 2019 से जून 2022 तक अवैध शराब बेचकर 280 करोड़ रुपये वसूले गए। हर साल 70 करोड़ से ज्यादा की वसूली का टारगेट था। जिला आबकारी अधिकारियों ने इस दौरान 2174.60 करोड़ की 60 लाख पेटी अवैध शराब बेची।

पार्ट-बी की शराब में डिस्टलरी को हुआ ज्यादा मुनाफा : जांच एजेंसी के अनुसार पार्ट-ए, पार्ट-बी और पार्ट-सी तीनों घोटाले में डिस्टलरी मालिक शामिल थे। पार्ट-बी के शराब में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है। सरकार ने डिस्टलरी मालिकों को नंबर दो में अतिरिक्त शराब निर्माण की अनुमति दी। इन शराब की बोतल में फैक्ट्री के भीतर ही डुप्लीकेट होलोग्राम लगाए जाते थे। वहां से आबकारी अधिकारियों की निगरानी में बिक्री के लिए अवैध शराब सीधे दुकान पहुंचती थी। अवैध शराब की बिक्री के लिए हर दुकान में अलग से गल्ला रखा गया था। इसमें पहले 560 रुपये प्रति पेटी कमीशन डिस्टलरी को मिलता था। बाद में इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रति पेटी कर दिया गया। जबकि वैध शराब की पेटी में 75-100 रुपये कमीशन मिलता था।

रायपुर कोर्ट में साइन करने के बाद वापस जाते आबकारी अधिकारी। ● नईदुनिया

- बिना बिल और डुप्लिकेट शराब खपाने में अफसरों की भूमिका उजागर, अनवर सिंडिकेट का मास्टर माइंड

अवैध पैसों को निवेश किया संपत्ति और कर्ज देने में

ईओडब्ल्यू के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हर साल डुप्लीकेट शराब बेचकर अवैध उगाही करने वाले अफसरों ने अपने अवैध पैसों को जमीन, चहेतों को कारोबार और कर्जदारों को दिया है। शराब घोटाला के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया था। यहां पर पदस्थ आबकारी अधिकारी को 150 रुपये प्रति पेटी कमीशन के रूप में मिलता था।

घोटाले में शामिल आबकारी अधिकारी

गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मण्डावी, राजेश जायसवाल, जीएस नुखटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जायसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर।

सरकारी कागजों में रिकार्ड न चढ़ाने की हिदायत

शराब खपाने का रिकार्ड सरकारी कागजों में न चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। फरवरी 2019 से आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। शुरुआत में हर महीने 800 पेटी शराब से भरी 200 ट्रक डिस्टलरी से हर माह निकलती थी। एक पेटी को 2,840 रुपये में बेचा जाता था। उसके बाद हर माह 400 ट्रक शराब की सप्लाई शुरू हो गई। प्रति पेटी शराब 3,880 रुपये में बेचा जाने लगा। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में राजफाश हुआ है कि तीन साल में 60 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां अवैध रूप से बेची गई।